

मुकदमा संख्या 02/09 ईसी एक्ट

द्वारकाप्रसाद हाटीला पुत्र स्व. कालूराम हाटीला (मेघवाल) निवासी पाबूबारी के बाहर, बीकानेर

—अपीलान्ट

: ब नाम :

जिला रसद अधिकारी, बीकानेर

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान एवं अन्य
आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976

उपस्थिति:—

1. अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री मुकेश आचार्य उपस्थित।
2. जिला रसद अधिकारी, बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।



: निर्णय :

दिनांक 15.10.19

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत जांच रिपोर्ट दिनांक 01.05.18 एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.07.18 से व्यथित होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आदेश विधिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान वार्ड नं. 10 बहाल किये जाने का आदेश फरमावे।
2. अपील पेश होने पर रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को तलब किया गया एवं उनके कार्यालय की पत्रावली मंगवाई गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से उनके विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए। तदन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने मीमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट वार्ड नं. 10 बीकानेर शहर का उचित मूल्य दुकानदार है जिसका प्राधिकार पत्र सं. 571/90 29 वर्षों से बेदाग चला आ रहा है। प्रवर्तन निरीक्षकगण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 01.05.18 के अनुसार दिनांक 14.04.18 को दुकान का निरीक्षण कर अनियमितताएँ दिखाते हुए दिनांक 03.05.18 को नोटिस दिया गया जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.05.18 को प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार के आदेशानुसार पॉश मशीन से ऑनलाईन वितरण व्यवस्था लागू है। प्रार्थी के पास स्टॉक रजिस्टर का संधारण उपलब्ध है। निरीक्षण के समय स्टॉक व मूल्य सूची का प्रदर्शित नहीं होना अवकाश के कारण नहीं किया गया। जिन उपभोक्ताओं को राशन नहीं देने का आरोप लगाया गया है। उन सभी ने शपथ पत्र लिखकर दिया है कि हमें पूरा खाद्यान प्राप्त हुआ है। प्रार्थी अपीलान्ट ने दिनांक 07.09.17 से लगातार प्रवर्तन निरीक्षक सरोज विश्‍नोई, देवाराम व कम्प्यूटर सूचना सहायको की शिकायत की गयी जिस पर जयपुर मुख्यालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जांचदल गठित किया गया व कर्मचारियों को दोषी माना। विभाग की स्वीकृति के अनुसार ही दुकान का कार्यस्थल है। कर्मचारियों की शिकायत करने के कारण अपीलार्थी से व्यक्तिगत रजिश होने के कारण विभाग नुकसान पहुंचाना चाहता है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। एकतरफा तौर पर 12.04.18 को आदेश जारी किये गये। अतः आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दुकान वार्ड नं. 10 बहक अपीलान्ट बहाल किये जाने का आदेश फरमावे।

सूचना रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस थाना अन्वेषण अधिकारी की जांच उपरांत थाना काटगट द्वारा द्वारकाप्रसाद के विरुद्ध दिनांक 28.11.18 को सीजेएम कोर्ट बीकानेर में आरोप पत्र सं. 271 प्रस्तुत किया जा चुका है। आरोप पत्र में जुर्म धारा 420 भा.द.स. एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रमाणित पाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है। फिलहाल आरोपी जमानत मुचलका राशि जमा करवाने पर जमानत प्राप्त है एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बहस हेतु अगली तारीख 28.11.19 तय है। अपीलार्थी ने राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,8,11,15 व 17 (ग) का उल्लंघन किया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने विभागीय जांच दल की रिपोर्ट दिनांक 01.05.18 के आधार पर जिला रसद अधिकारी द्वारा प्राधिकार-पत्र निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित मूल्य दुकानदार पर लगाये गये आरोपो का राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के परिपेक्ष्य में मेरिट पर जाकर विवेचन नहीं किया गया है ना ही कतिपय उपभोक्ताओ द्वारा स्वप्रेरणा से प्रस्तुत शपथ पत्रों की व्याख्या की गई है। उचित मूल्य दुकानदार की जांच रिपोर्ट व स्वप्रेरणा से प्रस्तुत शपथ पत्रों पर सुनकर प्राधिकार-पत्र निरस्त करने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय लिया जाना था तथा राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के परिपेक्ष्य में मेरिट पर जाकर विवेचन किया जाना चाहिए था। दौराने बहस विभागीय प्रतिनिधि द्वारा भी इस बिन्दु पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई।

6. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रकरण इस निर्देश के साथ जिला रसद अधिकारी को रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलार्थी/डीलर के विरुद्ध विचाराधीन जांच कार्यवाही में अपीलार्थी/डीलर को सुनवाई एवं साक्ष्य/सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत स्पीकिंग आदेश पारित करें। जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को निर्णय की प्रति मय उनके यहां से प्राप्त मूल पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। अपीलार्थी दिनांक 05.11.19 को अपील में सुनवाई हेतु आया...